

उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष योजनान्तर्गत दैवीय आपदाओं से हुई
किसी क्षति की स्थिति में मत्स्य पालक/मछुआरा को वित्तीय सहायता हेतु

शपथ-पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नीनिवासी
ग्राम/मोहल्ला.....विकास खण्ड/नगर क्षेत्र.....तहसील....
.....जनपद.....उत्तर प्रदेश शपथपूर्वक बयान
करता/करती हूँ कि:-

- 1- उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष योजनान्तर्गत दैवीय आपदा
..... हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु मेरे द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत
किया गया है।
- 2- मैंने मत्स्य पालक कल्याण कोष योजना की विस्तृत गाइड लाइन्स का
अध्ययन कर लिया है।
- 3- मैंने दैवीय आपदा से हुई इस क्षति के लिए भारत सरकार/उ०प्र० सरकार
द्वारा संचालित किसी अन्य योजना (अन्य विभाग, मा०मुख्यमंत्री कोष, सांसद
निधि, विधायक निधि आदि) से सहायता हेतु न तो आवेदन प्रस्तुत किया गया
है और न ही कोई वित्तीय सहायता प्राप्त की है।
- 4- यदि भविष्य में यह तथ्य प्रकाश में आता है कि मेरे द्वारा इस हेतु किसी अन्य
योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त की गयी है तो नियमानुसार वैधानिक
कार्यवाही करने एवं प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि ब्याज सहित वसूल किये जाने में
मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

ईश्वर मेरी मदद करे।

आवेदक/शपथी के हस्ताक्षर